सोन भवन: वीर चन्द पटेल पथ: पटना:।

कार्यालय आदेश

निगम निदेशक पर्षद की 104 वीं बैठक दिनांक 13.11.2001 के मद सं0 104.4 में समान्य क्षति एवं गबन की राशि पर 18% साधारण ब्याज की गणना करके क्षति एवं गबन की मूल राशि के साथ-साथ ब्याज की वसुली संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों से करने का निर्णय लिया गया है, तथा एतत्संबंधी कार्यालय आदेश निगम मुख्यालय ज्ञापांक 7338 दिनांक 24.11.02 द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

तदनुसार ब्याज की गणना करने के क्रम में ऐसा पाया गया है कि अधिकांश मामले में क्षति/गबन एवं वसुली की राशि कई-कईवर्षों का एक साथ प्रतिवेदित है।

अत:पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि कई वर्षों की क्षति एवं गबन की राशि एक साथ प्रतिवेदित हों, तो ऐसी स्थिति में क्षति एवं गबन की प्रतिवेदित पूरी राशि को प्रारम्भ वर्ष की क्षति एवं गबन मानते हुए उस पर ब्याज की गणना निर्धारित दर से की जायेगी। उदाहरणस्वरूप यदि किसी कार्मिक के संबंध में वर्ष 74.75 से 81-82 की क्षति एवं गबन की राशि वर्षवार नहीं रह कर एक साथ प्रतिवेदित हो, तो प्रतिवेदित पूरी राशि पर वर्ष 74-75 से ही ब्याज की गणना की जायेगी। यदि कार्मिक द्वारा तीन महीना के अन्दर यह प्रमाणित किया जाता है कि क्षति बाद की अवधि का है, तो उसमें सुधार किया जाएगा।

इसी प्रकार किसी कार्मिक से क्षति एवं गबन मद में किसी जिला से वसुल की गई राशि वर्षवार अलग-अलग नहीं रह कर एक साथ मात्र राशि प्रतिवेदित हो, तो वैसी स्थिति में उस कार्मिक से वसुल की गई पूरी राशि को संबंधित जिला में उनके पदस्थापन काल का अन्तिम वर्ष में वसुली मानकर निर्धारित दर से ब्याज की गणना की जायेगी।

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक-दावा-11/94-582 दिनांक- 28-1-2002

प्र० सचिव-आयुक्त-सह-सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक-दावा-11/94-582 दिनांक- 28-1-2002

प्रतिलिपि गोपनीय शाखा/सभी प्रमुख/सभी उप प्रमुख, निगम मुख्यालय, पटना/सभी प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0:
सोन भवन: वीर चन्द पटेल पथ: पटना: 800 001.

कार्यालय आदेश

सी0 डब्लू0 जे0 सी0 नं0-3706 ऑफ 2000 नागेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार
स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन एवं अन्य से संबंधित वाद में दिनांक
03-07-03 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश में यह उल्लेख
किया गया कि श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही को निष्पादित कर निर्णय
लेने में निगम प्रशासन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 00 वर्षों का विलंब किया गया है।
इसलिए निगम द्वारा गबन राशि पर 10% की दर से ब्याज वसूलने का जो आदेश
दिया है, वह ज्यादा है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा उक्त आदेश को
संशोधित कर ब्याज की दर 6% कर दिया गया। इसी आदेश के आलोक में
निगम निदेशक पर्षद की दिनांक-02-04-04 को 110वीं बैठक में विचारोपरान्त
लिए गए निर्णयानुसार निम्न प्रकार ब्याज की वसूली की जायेगी:-

1. क्षति/गबन के ऐसे मामले जिनमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया हो या जिन मामलों में किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही निष्पादित कर निर्णय लेने में निगम प्रशासन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से काफी विलंब किया गया हो तो ऐसे मामलों में 6% की दर से साधारण ब्याज की वसूली संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी से की जायेगी।

2. ऊपर के कंडिका-1 में आच्छादित क्षति/गबन के अन्य मामलों पर 10% साधारण ब्याज की दर से संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जायेगी।

3. दिनांक-02-04-04 के प्रभाव से प्राप्त मामलों पर होने वाली क्षति/गबन राशि पर बैंक लेन्डिंग दर [illegible] से ब्याज की वसूली संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी से की जायेगी।

ह0/- [illegible]

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक।

[illegible]

ज्ञापांक- 2862 पटना, दिनांक- 26/4/04

प्रतिलिपि सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक- 2862 पटना, दिनांक- 26/4/04

प्रतिलिपि प्रमुख प्रशासन/प्रमुख वित्त/प्रमुख वाणिज्य/प्रमुख विधि/प्रमुख [illegible] सचिव प्रशासन/प्रमुख क्षेत्र पर्यवेक्षण/प्रमुख निगरानी/प्रमुख अंकेक्षण/सभी उप प्रमुख/सभी डेस्क पदा०/शाखा पदाधिकारी, निगम मुख्यालय, पटना तथा सभी प्रभारी जिला प्रबंधक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि० को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक।

(141)

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

कार्यालय आदेश।

श्री रूप नारायण दास, सहायक प्रबंधक(से0नि0), राज्य खाद्य निगम, दरभंगा के विरूद्ध क्षति/गबन की राशि पर सूद एवं मूल क्षति/गबन की शेष राशि की वसूली हेतु निगम मुख्यालय के ज्ञापांक 3603 दिनांक 21.4.09 के द्वारा विभागीय कार्यवाही चलाई गई ।

विभागीय कार्यवाही में गठित आरोप पत्र, आरोपी से प्राप्त बचाव पत्र तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अदिगम के समीक्षोपरान्त श्री दास के विरूद्ध लगाये गये आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाया गया है।

चूँकि श्री दास सेवा निवृत कार्मिक है, अतएव इनके विरूद्ध चलाई जा रही विभागीय कार्यवाही को सर्विस कंडक्ट रूल्स 26 III 'A' एवं 'B' के अन्तर्गत परिवर्त्तित करते हुए इसे समाप्त किया जाता है, तथा निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैः–

1– श्री दास के पूर्णियॉ, चाईबासा, पलामू, सीवान एवं दरभंगा के कार्य अवधि की प्रतिवेदित क्षति/गबन की मूल राशि मो0--08,82,795.26 रूपये थी, जिसमें से मो0–05,19,596.50 रूपये की वसूली हो चुकी है।

2– क्षति/गबन की प्रमाणित कुल मूल राशि मो0–08,82,795.26 रूपये पर वर्ष 03–04 तक 18% साधारण ब्याज एवं 04–05 से 07–08 तक बैंक लैंडिंग (त्रैमासिक चक्रवृद्धि) के दर से कुल ब्याज की राशि 12,08,010.53 रूपये है, जिसकी वसूली उनके सेवान्त लाभ/बकाया वेतन भत्ता आदि से की जायेगी। सूद की राशि की गणना से संबंधी प्रतिवेदन संलग्न है।

3– इसके अतिरिक्त मूल क्षति/गबन की अवशेष राशि मो0–03,63,198.76 रूपये की भी वसूली श्री दास के सेवान्त लाभ/बकाया वेतन भत्ता आदि से करते हुए इस पर 08–09 से वसूली पूरी होने तक बैंक लैंडिंग दर से ब्याज की वसूली की जायगी।

सक्षम पदाधिकारी के आदेश से।

Sd/- 30.3.13
प्रमुख प्रशासन।

अनु0:– यथावत्।

ज्ञापांक–10:04:21:01:12– 03/ज्ञा0 दिनांक– 30.03.2013

प्रतिलिपि सभी प्रमुख/सभी उप प्रमुख/डेस्क पदाधिकारी/ सेवा निवृति पेंशन लाभ कोषांग/ गोपनीय शाखा, मुख्यालय/ जिला प्रबंधक, दरभंगा/पूर्णियॉ/चाईबासा/पलामू/सीवान एवं श्री रूप नारायण दास, सहायक प्रबंधक(से0नि0), राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 30.3.13
प्रमुख प्रशासन।

AR/*